


29.10.25 सरकारक प्रिय कुटुम्ब।

इंडि कुमल पणपणी अपीकीन न्यायालय
द्वारा तलब की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में
द्वारा सरकारक की कार्यवाही प्रबन्ध में मंचायत
नियमों के अन्तर्गत प्रारंभ नहीं की जाये।
मिसाल सरकारक की कार्यवाही द्वारा
पत्र प्राप्त की जाये।
सरकारक द्वारा दफ्तर है।


सहायक कलेक्टर
SDO सिंगधरी

